फर्द अंहकाम

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

अनवानः– कुलदीप बनाम रामकुमार आदि

किस्म मुकदमा– अपील प्रकरण सं0 2019/00210 (210/2019)

तारीख हुकम	कार्यवाही विवरण	
12.03.2020	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के प्रकरण संख्या 103/2015 बअनवानी राजकुमार बनाम महावीर प्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत धारा 251 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए उनकी भूमि में आवागमन के लिए प. नं. 127/206 मु. नं. 52 के किला नं. 25 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 1 बिस्वा यानि 0.013 है0 जिसकी लम्बाई 165 गुणा 8.25' व प0 नं0 128/206 मु. नं. 53 किला नं. 21 के उत्तरी दिशा में उत्तरी पश्चिमी की ओर 0.003 है0 यानि 20 गुणा 15 अथा 0.016 है. मुताबिक डीएलसी दर 889320 रूपये प्रति है0 से रास्ता में आई आराजी की दोगुणा राशि 28640/– रू0 तहसील में जमा करवाये जाने की शर्त पर स्वीकृत किया गया है राशि जमा होने के बाद उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दज किये जाकर चालू करवाने के आदेश दिये हैं। स्वीकृत रास्ता की एवज में जमा करवाई गई राशि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मांग किये जाने पर जमा राशि का भुगतान अप्रार्थी सं0 1 को किये जाने क आदेश दिये हैं। उभयपक्ष ने न्यायालय हाजा में दिनांक 02.03.2020 को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया है। राजीनामा अनुसार चक 9 एम.एम.के. के प. नं. 49/43 के प. नं. 128/206 (53) किला नं. 21 के पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता द्वितीय पक्ष को देने हेतु प्रथम पक्ष संख्या 2 सहमत है, उक्त रास्ता के बदल में	

चौड़ाई व 153 फुट लम्बाई की कृषि भूमि प्रथम पक्षकार संख्या 2 को देने हेतु सहमत है। लिहाजा बरूए राजीनामा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.10.2019 निरस्त किया जाता है एवं चक 9 एम.एम.के. के प. नं. 49/43 के प. नं. 128/206 (53) किला नं. 21 के पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है । उक्त रास्ता के बदल में चक 9 एम.एम.के. के खाता संख्या 66/23 के पत्थर नम्बर 128/206 किला नं. 17, 18, 19 में दक्षिणी दिशा की तरफ स 3 फुट चौड़ाई व 495 फुट लम्बा व किला नं. 20 में पश्चिमी दिशा की तरफ से 12 फुट छोड़कर दक्षिण दिशा की तरफ 3 फुट चौड़ाई व 153 फुट लम्बाई की कृषि भूमि प्रथम पक्षकार संख्या 2 महावीर प्रसाद पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी रोडावाली के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को लिखाया जाकर सुना गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 18:12:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: